डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: वहां कुछ नहीं करते और यहां आकर भाषण करते हैं।

...(व्यवधान)...

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Sir, I belong to Andhra Pradesh, that is why I am asking about it. I am not interested in other States....*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer the question now.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Mr. Chairman, Sir, the present rules do not permit me to utilise the funds, which are allotted under other heads of account of the Agriculture Ministry, for power. There is no such procedure. Power Ministry is not under me. We have given them funds separately. So, I am helpless in this respect. But, I would be glad if any other way could be found out. I have given them the figures from 1992 to 1995. So, it is not only the present Government, but the earlier Governments had and done like that...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: You cannot escape saying that the previous Governments had also done like that because...*(Interruptions)*... You cannot take this excuse. If you admit that it is a mistake, you should set it right.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister answer, please.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Please allow me to complete.

SHRI V. NARAYANASMAY: This is not the way the hon. Minister should reply.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I only said that this was not concerned with only one Government. This is a malady which has been continuing. That is the idea. It is much more serious. That is what I am pointing out. It is not that I am accusing this Government or that Government. That was not the idea at all. I said that this was a malady which has been continuing and, therefore, some solution has to be found. At what stage it can be taken up; I am not yet clear.

श्री राघवजी: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि मध्य प्रदेश में जो एमाउंट रिलीज़ हुआ था वह 186.792 करोड़ था और जो स्पेंड हुआ है वह 231.63 करोड़ था, यानी एमाउंट ज्यादा स्पेंड हुआ है। लेकिन फिर भी आखिर के कालम में जो लिखा है अनस्पेंड बैलेंस एज़ आन् 1.4.96 वह 33.67 करोड़ है, वह अनस्पेंड कहां से आ गया जबकि एक्सैस खर्च किया गया है? यह मेरी समझ में नहीं आया कि अनस्पेंड बैलेंस एज़ आन् 1.4.96 कैसे हुआ? ऐसे और भी कुछ राज्यों में है। माननीय मंत्री जी इस बारे में बताने का कष्ट करें।

श्री चतुरानन मिश्र: सर, ऐसे होता है कि पिछले साल का भी जो पैसा होता है वह इस साल में कैरी ओवर करके खर्च हो जाता है। इसलिए टोटैलिटी तो उसका ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमने जो अलाट किया उसमें वह ज्यादा खर्च हो सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी मनी हैंडेड ओवर होता है। तो इसमें कोई खास गड़बड़ नहीं है। यह तो ऐसी पद्धति चल रही है।

Unlicensed Hawkers in Trains

*291. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Goverment are aware of unlicensed hawkers carrying out their business even in superfast trains; and

(b) if so, the steps taken, so far to stop this practice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) Some cases have come to notice.

(b) Unauthorised hawking/vending is a punishable offence under Section 144 of the Railways Act, 1989. To check this menace, regular checks are conducted by railway officials with the help of Government Railway Police and Railway Protection Force Personnel. Such offenders are dealt with in accordance with the provisions of the Railway Act.

श्री लक्खीराम अग्रवाल: सभापति महोदय, यह देखा गया है कि न केवल सुपरफास्ट गाड़ियों बल्कि अनेक गाड़ियों में अनधिकृत फेरी वाले गलत सामान

बेचते हैं, खाना तक सप्लाई करते हैं और इसके कारण रेलगाड़ियों में यात्रियों का बैगेज भी चोरी होता है, सामान भी चोरी होता है और उसके कारण कई बार गलत खाना देकर लूट की घटनाएं भी होती हैं। मंत्री जी ने इसके संबंध में रेल नियम का भी उदाहरण दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास ऐसी कोई संख्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कितने लोगों को सभी तक पकड़ा गया, कितने लोगों का चालान किया गया और कितने लोगों को दंडित किया गया?

श्री राम विलास पासवास (रेल मंत्री): सभापति जी, अभी तक 1993-94 में 24135 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1994-95 में 23547 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1995-96 में 20834 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

श्री लक्खीराम अग्रवाल: किस वजह से कितने लोग दंडित हुए क्या इसके आंकड़े आपके पास हैं?

श्री राम विलास पासवान: इसमें से जितने लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया वह 1993-94 में 18157 और उसमें से 2580 आदमियों को जेल भेजा गया, 1994-95 में जो मुकदमा चलाया गया वह 21140 संख्या है और 2367 आदमियों को जेल भेजा गया। 1995-96 में 20458 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 2149 आदमियों को जेल भेजा गया।

श्री लक्खीराम अग्रवाल: सभापति महोदय, जिस प्रकार से ट्रेनों में अनधिकृत फेरी वाले सफर करते हैं उसी प्रकार से मध्यवर्गीय स्टेशनों में, बड़े स्टेशनों में तो बहुत कम गुंजायश रहती है, लेकिन कई जगह पर देखते हैं कि जो मध्यम श्रेणी के स्टेशन होते हैं उनमें कैंटीनें तो खाली हैं या तो कैंटीनों का किसी को काम नहीं दिया गया है या वे चलाते नहीं हैं और उसके कारण अनधिकृत लोग प्लेटफार्म पर सामान अधिकृत रूप से बना कर बेचते हैं और इससे भी कई प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है? अगर नहीं गया है तो क्या वह इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल चालान करके कार्यवाही की जाए, बल्कि जो कैंटीनें चालू नहीं हैं और वहां पर कैंटीनों का स्टाल बना हुआ है, ऐसी कैंटीनों को चालू करवाने का प्रबन्ध करेंगे?

श्री राम विलास पासवान: जी हां, यह जो समस्या है, इस के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि कहीं-कहीं लाचारी है जिस के संबंध में आप ने ध्यान आकृष्ट किया है। दूसरा एक सामाजिक पहलू है जोकि बेरोजगारी से संबंधित है। लेकिन जो आप ने खाने-पीने के सामान के संबंध में कहा है उस की सहूलियत और विकास के संबंध में हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल: कौनसा ऐसा विषय है जिस पर आप गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं?

श्री राम विलास पावान: जो कभी-कभी आप उठाते हैं।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: चूंकि रेल के बारे में बात चली है, इस संबंध में मेरी एक गुजारिश जनाब रेल मंत्री जी से है। काश्मीर के दो आदमी 10 जनवरी को मेरे पास आए और एक एप्लीकेशन दी कि वह शालीमार एक्सप्रेस से आ रहे थे कि पठानकोट के पास रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस के लोगों ने उन्हें पीटा और करीब 800 रुपए उन की जेब से जबर्दस्ती छीन लिए और 2 हजार रुपए की केशर उन के पास थी, वह भी ले गए। मैं ने इस बारे में डी०जी० पंजाब और होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक मुझे कोई इल्म नहीं कि उन का क्या हुआ? तो मैं इन से गुजारिश करूंगा कि क्या इस सिलसिले में भी मंत्री जी ध्यान देंगे?

श्री राम विलास पासवान: आप ने होम मिनिस्टर साहब और डी०जी० पंजाब को जो चिट्ठी लिखी है, उस की कापी हम को दे दीजिए। हम इंक्वायरी करवा लेते हैं।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, जैसाकि अभी कहा गया रेल यात्रियों की जान-माल को खतरा पैदा हो गया है। साथ ही आजकल रेलों में जो डकैती हो रही है तो क्या मंत्री जी ने इस बात का पता लगाया है कि जो बिना लायसेंस के फेरी वाले हैं, इन घटनाओं में कहीं उन का हाथ तो नहीं है? दूसरी बात यह है कि जो सामान ये लोग बेचते हैं, वह स्टैंडर्ड का है या नहीं है, हायजेनिक है या अनहायजेनिक है, क्या रेलवे ने कभी ऐसी चीजों को रोकने या स्टैंडर्ड ठीक करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अंतिम बात यह है कि आर०पी०एफ०, जी० आर०पी० और टी०टी० की बिना मिलीभगत के ऐसे वेंडर्स रेल में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है? अभी आप ने बताया कि बड़ी संख्या में दोषी लोग जेल भेजे गए, लेकिन यह जेल भेजने की कार्यवाही रिमाण्ड की स्टेज पर हुई है या कनविक्शन के बाद हुई, यह आप ने नहीं बताया है। वहीं आप ने दोषी रेलवे स्टाफ जैसे टी०टी०, आर०पी०एफ०, जी०आर०पी० के खिलाफ आप ने क्या कार्यवाही की है? इन के खिलाफ आप ने अदालत में कोई चालान पेश किए हैं या दंडित किया है, यह भी बताने की कृपा करें।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, अभी तो मेरे पास वह आंकड़े नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस बात का भी हम पता लगाएंगे। लेकिन महोदय, इस में एक सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम को पता चल जाय कि बिना लायसेंस कौन यह काम कर रहा है तो उस के बारे में मैं ने बताया कि भारी संख्या में लोग जेल भेजे जा रहे है? तो लोग पकड़े भी जा रहे हैं लेकिन उस में एक पहलू यह भी है कि रेलवे उस में थोड़ा सा "ह्यूमेनिटेरियन पॉइंट आॅफ व्यू" भी रखती है। हालांकि इस संबंध में एक कमेटी भी बनायी गयी थी, लेकिन कमेटी ने कोई "हार्ड एंड फास्ट" यह नहीं बताया कि जो भी अन-अथॉराइज्ड पकड़ा जाए, उन सब को जेल भेजते जाओ और सब के ऊपर कार्यवाही करते जाओ। महोदय, यह एक ऐसा मामला है जिस में हम को दोनों पाॅइंट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन जो बात आप ने कही कि ऐसे तत्व जो जानबूझकर गलत काम में लगे हुए हैं और जो बिना लायसेंस वाले हैं, उन के खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। इन दोनों में हम अंतर करेंगे। फिर आप ने कहा कि इस में कर्मचारी की सांठ-गांठ का मामला है तो उस कर्मचारी की भी जांच करवाएंगे। महोदय, अभी हमारे साथी बता रहे हैं कि इस में पनिशमेंट ऐसा है कि पहले 6 महीने की जेल का था और ...**(व्यवधान)**...

श्री गोविन्दराम मिरी: महोदय, मैं ने यह पूछा है कि जो लोग जेल भेजे गए, वह रिमांड की स्टेज पर जेल भेजे गए यानी कई लोग फाइन नहीं जुटा सकते, इसलिए जेल भेजे जाते हैं या सजा होने के बाद भेजे गए हैं?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, वह तो डिटेल का मामला है। आप चाहेंगे तो हम भेज देंगे।

*292 [The Questioner (Shri Ved Prash P. Goel) was absent. For answer vide column....infra]

*293 [The Questioner (Shri Anand Ray Dev Shanker Dave) was absent. For answer vide column...infra].

Derailments and resultant losses

*294. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that railway property worth Rs. 25 crore was damaged due to 195 derailments that took place between May 1996 and January, 1997.

(b) the details of derailments that took place in 1993-94, 1994-95 and 1995-96 and damage resulted in rupees; and

(c) the preventive steps taken to control such damage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) A stastement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The number of derailments during the last three years was 401,388 and 296 respectively and the cost of damage to railway property was Rs.44.72 crores. Rs. 38.18 crores and Rs. 46.15 crores respectively.

(c) Some of the steps taken to bring down the incidence of derailments on Indian Railway are as under:—

1. Track structure is being strengthened by using 60 Kg rails on concrete sleepers. All rails are being converted into long welded rail panels by welding and removing fish-plated joints. Fan-shaped turn-out and switches are being introduced.

2. Track is being maintained progressively by tie tamping and ballast cleaning machines. Track is also now being laid with track renewal trains.

3. For monitoring of track geometry and running characteristics of track, sophisticated track recording cars, oscillograph cars and portable accelerometers are being progressively used.

4. For detection of hidden flaws in the rails not visible to the naked eye, ultrasonic flaw detectors are being used. Inspections of points and crossing have been intensified.

5. The condition of rolling stock has been improved. Conventional 4 wheeled wagons with brass bearing and vacuum brake system are being replaced with better bogie. roller-bearing air-braked stock.